झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1290 वर्ष 2017

देब कुमार रॉय, पे0 स्वर्गीय दीनबन्धु रॉय, निवासी मोहल्ला–गुलजारबाग, गोड्डा, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा (टी0), जिला–गोड्डा

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. राजेश कुमार, पे0 लक्ष्मी कांत गुप्ता, निवासी मोहल्ला–रूतारा चौक, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा (टी0), जिला–गोड्डा

2. किशोर कुमार रॉय, पे0 शशाधर रॉय, निवासी मोहल्ला–गुलजारबाग, गोड्डा, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा (टी0), जिला–गोड्डा

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री रंजन कु0 सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री के0के0 सिंह, अधिवक्ता

06/13.10.2017 सिविल संशोधन संख्या 01/2017 में पारित दिनांक 18.01.2017 का आदेश, जिसके द्वारा दिनांक 08.11.2016 के आदेश को दी गई चुनौती को रू0 2000/– के खर्च के साथ अस्वीकार कर दिया गया है, से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

2. याचिकाकर्ता टाइटल सूट संख्या 11/2014 में वादी है। यह वाद, सूट भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषण के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि

7.11.2012 दिनांकित विक्रय विलेख अकृत और शून्य है। वाद में, जब प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए तो याचिकाकर्ता ने आदेश IX नियम 6 (1) (क) के तहत एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता ने सी0पी0सी0 के आदेश VIII नियम 10 के तहत भी एक आवेदन दायर किया, हालांकि, विचारण न्यायाधीश ने एक पक्षीय कार्यवाही के लिए वाद को सूचीबद्ध करने का कोई आदेश पारित नहीं किया। यह कहा गया है कि विचारण न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दायर लिखित बयान को 08.11.2016 को स्वीकार कर लिया। दिनांक 08.11.2016 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 115–ए के तहत सिविल पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया था। यह आवेदन 18.01.2017 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह वह आदेश है जिसको याचिकाकर्ता ने वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित किया है।

3. दिनांक 18.01.2017 के आदेश का अवलोकन करने से यह मालूम होता है कि विचारण न्यायाधीश ने मान लिया कि कोई वादी कोई गलती नहीं कर सकता है। 18.01.2017 का आदेश इस अनुमान के साथ शुरू होता है जब ट्रासयल जज रिकॉर्ड करते हैं कि झारखंड राज्य के भीतर अभी भी सी0पी0सी0 की धारा 115 ए लागू नहीं है, उपरोक्त प्रावधान के तहत सिविल संशोधन दायर किया गया है। भारत के क्षेत्र के भीतर जिसमें स्पष्ट रूप से सभी राज्य शामिल होंगे, के अधिनियमित सभी कानूनों की जानकारी की उम्मीद याचिकाकर्ता से करते हुए, विचारण न्यायाधीश ने कानून के एक गलत प्रावधान के तहत एक आवेदन दायर यकरने के लिए 2000/– रूपये कास शुल्क लगाया है। स्पष्ट रूप से, विचारण न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता पर लागत अधिरोपित करने में कानून के अनुसार एक गंभीर त्रुटि की है,

तदनुसार, दिनांक 18.01.2017 के आदेश के एक हिस्से को अपास्त किया जाता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर 2000/– रूपये का खर्च लगाया जाता है।

4. उपरोक्त सीमा तक रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)